न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 06/2016

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रामेश्वरलाल पुत्र पुखराज, जाति कुमावत, निवासी लाणेरा, तहसील सोजत, जिला—पाली, (राजस्थान)	1	मोहनीदेवी पत्नी हरीया
	2	गणपत
	3	हनुमान पिसरान हरीया जातियान कुम्हार, निवासीगण लाणेरा, तहसील सोजत, जिला पाली।
	4	तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री गजेन्द्र दवे व श्री भगवती प्रसाद अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री गोविन्द बंजारा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 22/03/21

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम लाणेरा में वादी की संयुक्त मालिकाना, हक हकूक खातेदारी, कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 1.6800 हैक्टर की आई हुई स्थित है। जिस कृषि भूमि मे वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की सामलाती हक, हकूक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। उपरोक्त कृषि भूमि को वाद पत्र में आगे संक्षिप्त में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि वादी ने दिनांक 19.02.2008 को खातेदार सुगनाई, चम्पा, दुर्गा, धापू पुत्रियान तिलाराम से 1/2 हिस्सा जरिये बेचान रजिस्ट्री द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तब से लेकर वादी का उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर लगातार बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा हक, हकूक खातेदारी कब्जा काश्त का आता है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित हिस्सा वादी का है, जिस पर वादी शांतिपूर्वक, बिना किसी व्यवधान के काश्त करता आ रहा है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात पर वादी व प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात को दो भागो में बांट रखी है और अपने हिस्सेनुसार काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड में आज दिन तक बंटवाडा नहीं होने से हमेशा काश्त करते समय वादी को परेशानी का सामना करना पडता है। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद व मतभेद उत्पन्न होते रहते है। इसलिये वादी अपनी इच्छानुसार वादग्रस्त आराजीयात का उपभोग व उपयोग नही कर पा रहे है। इसलिये वादी ने दिनांक 08.01.16 को प्रतिवादीगण से वादग्रस्त आराजीयात का आपसी सहमति से बंटवाडा कराने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण ने बंटवाडा करने से मना कर दिया। प्रतिवादीगण उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि का विधिक बंटवाडा कराये बिना विशिष्ठ भू भाग का बेचान, हस्तान्तरण करने तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने को आमादा है जबकि कानूनन सामलाती कृषि भूमि के प्रत्येक इंच की भूमि पर प्रत्येक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

खातेदार का मालिकाना हक अधिकार निहित है। यदि प्रतिवादीगण बिना बंटवाडा करवायें उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि को बेचान हस्तान्तरण करने एवं कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करते है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन कदापि रूपया पैसो में नहीं आंका जा सकता है इसलिये यह वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादी वादस्थ कृषि भूमि का रोड की तरफ से बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस माफिक कब्जा तथा नजरी नक्शे में दर्शित हक हिस्से अनुसार बंटवाडा करवाने का अधिकारी है। वादी अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का सही रूप से उपयोग, उपभोग कर सके। वादग्रस्त आराजीयात ग्राम सोजतसिटी तह0 सोजत में होने से न्यायालय हाजा क्षेत्राधिकार का है। वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि का बंटवाडा वादी के 1/2 हिस्से का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाये जाने तथा राजस्व रेकर्ड में नक्शे में अलग से भूमि तरमीम करवाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस हेतु वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्तागण मय वादी ने अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने तथा उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किये जाने की ईस्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। दिनांक 24.02.2016 प्रतिवादीगण संख्या 03 की ओर से गोविन्द बंजारा अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं ज0दा0 पेश किया, की प्रति अधिवक्ता वादी को दिलाई, गई, सा0मि0 हो। दिनांक 16.01.2017 को वकील वादीगण उपस्थित एवं वकील प्रतिवादीगण को बार बार आवाजे दिलाई जाने के बावजूद गैर हाजीर होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश नही किया गया, जवाब का अवसर बंद कर दिया गया।

दिनांक 16.01.2017 को वाद बंटवाडा को होने स साक्ष्य लिया जाना आवश्यक नही होने से प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रति0 सादिर की जाकर सरहद मौजा ग्राम लाणेरा में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की सामलाती हक, हकूक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की संयुक्त मालिकाना, हक हकूक खातेदारी, कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 1.6800 हैक्टर जिस कृषि भूमि मे पक्षकारानो में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर विभाजन प्रस्ताव पमय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने दिनांक 18.07.2017 को प्राथमिक डिक्री की पालना में पत्रांक/भू.अ./2017/1944 दिनांक 16.05.2017 द्वारा आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रेषित किये, सा0मि0 है।

दिनाक 23.03.2018 को अधिवक्ता प्रति. द्वारा प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का दिनांक 15.02.2017 को पेश किया कि उक्त अनवान की पत्रावली माननीय न्यायालय में दिनांक 16.01.2017 को वास्ते जवाबदावा प्रतिवादीगण हेतु मुकरर्र थी, अधिवक्ता प्रतिवादी माननीय न्यायालय में प्रकरण मुनियादेवी बनाम जेठाराम रा.वा. 71/16 में हाजिर थे। उक्त प्रकरण में तारीख पेशी लेने के बाद आवश्यक कार्य से मैं स्वयं अपने घर चला गया था। इस कारण उक्त पत्रावली में ज.दा. प्रस्तुत नहीं कर सका, प्रतिवादीगण अपने वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में प्रतिरक्षा में आवश्यक दस्तावेजात एवं ज.दा. प्रस्तुत करना चाहते है, न्यायालय में जानबूझकर अनुपस्थित नहीं

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

रहे है। तारीख पेशी दिनांक 16.01.2017 को प्रति. की अनुपस्थित बताकर ज. दा. बंद किया गया व प्रकरण में प्राथमिक डिक्री के आदेश भी पारित कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं है। उक्त आदेश को अपास्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत होने से प्रा. पत्र मय शपथ पत्र पेश कर उक्त एक पक्षीय आदेश एवं एक पक्षीय प्राथमिक डिक्री को अपास्त करवाया जाकर प्रति. का ज.दा. एवं साक्ष्य प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने का आदेश दिये जाने की ईस्तदुआ की है। अधिवक्ता प्रति. द्वारा प्रस्तुत इस प्रा. पत्र का जवाब दरख्वास्त दिनांक 23.03.2018 को अधिवक्ता वादी का बंद किया गया तथा तत्पश्चात् बहस दरख्वास्त प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. हेतु अनेक अवसर दिये जाने पर भी अधिवक्ता पूर्व में मुकर्रर तारीख पेशी दिनांक 21.08.2019 व दिनांक 26.09.2019 को भी बिना कोई सूचना अनुपस्थित रहे हैं। दिनांक 26.09.2019 को बार बार आवाजें दिये जाने पर भी बिना कोई सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय दरख्वास्त प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी. पी.सी. अधिवक्ता वादी सुनी गई। अधिवक्ता प्रति. प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी.में वर्णित तथ्यों की पैरवी व संपुष्ट करने में विफल रहने से दिनांक 16.01.2017 को जारी प्राथमिक डिक्री का पारित आदेश प्रावधानुरूप होने से प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का खारिज योग्य होने से खारिज किया गया।

तहसीलदार सोजत ने प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया है। उपस्थित उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की गई स्वीकारोक्ति/सहमति अनुसार तथा उभयपक्षों के अधिवक्तागण की दौराने बहस स्वीकारोक्ति की है। जिससे वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग से निर्धारण किये जाने को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: <u>आदेश</u> :–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बासनी लाणेरा पटवार हल्का लाणेरा भू0अ0निरी0 शिवपुरा तह0 सोजत में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की खसरा नम्बर 374 रकबा 1.6800 हैक्टर की भूमि खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	रामेश्वरलाल पुत्र पुखराज कौम कुमावत सा देह खातेदार	374	0.82	बाअ	4.10
2.	मोहनी देवी पत्नी हरिराम, गणपतलाल हनुमानराम पिता हरीराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	374/1	0.82	बाअ	4.10
3	रामेश्वरलाल पुत्र पुखराज कौम कुमावत 1/2 मोहनी देवी पत्नी हरिराम, गणपतलाल हनुमानराम पिता हरीराम 1/2 कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	374/2	0.04	बाअ	0.20

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 22/3/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत.
उपखण्ड अधिकारी
सोजत